





अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

कुलदीप वगै० बनाम उम्मेदसिंह वगै०

किरम मुकदमा-वाद बाबत तकारामा आराजीयात व स्थायी निवेद्याज्ञा

प्रकरण संख्या 39 सन् 2025

2025/155

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	गम्बर व तारीख अन्तर्गत जी हुकम हुकम की तारीख व जारी हुकम
17.04.25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। मुताबिक रिपोर्ट विवादित आराजीयात को लेकर प्रार्थी/केवियटर श्री राधेश्याम पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी ग्राम पीपलू तह० पीपलू की ओर से अधिवक्ता श्री भरत गुर्जर द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। केवियट प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ संलग्न हो। अधिवक्ता केवियटर को सूचित किया गया। अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी व श्री भरत गुर्जर एड० ने प्रतिवादी संख्या 10 राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल शर्मा निवासी पीपलू व प्रतिवादी संख्या 17 सुशीला पत्नि ओमप्रकाश महाजन निवासी अलीमपुरा तह० पीपलू की ओर वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र ऑर्डर 26 रूल 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किये, जो शामिल मिसल हो। पत्रावली दिनांक 30.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक) </p>	
30.04/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी/प्रवादी/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त। अन्तर्गत होने के कारण पत्रावली आदेशानुसार दिनांक 02.05.25 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
02.05/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 10 व 17 व केवियटर उप. वादी/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 0.26 R.9 व प्र.पत्र 07 R.11 सपठित धारा 151 CPC व प्रवादी प्रस्तुत हुआ। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07.05.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
07.05/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी/प्रवादी/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त। अन्तर्गत होने के कारण पत्रावली आदेशानुसार दिनांक 09.05.25 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	

05/09/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 10 व 17 व प्रार्थी केबिचर उप.। उच्चपद ने प्रा.पत्र औरि 7 नियम 11 सपहित धाय 151 CPC पर बहस का निवेदन किया। दोरने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10 व 17 ने दस्तावेजी साध्य पेश करने हेतु अवसर चाहा। न्यायहित से दस्तावेज पेश करने हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र 0.7 R.11 व धारा 151 CPC दिनांके 13.05.25 को पेश है।

13/05/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 10 व 17 व प्रार्थी केबिचर उप.। उच्चपद ने प्रा.पत्र औरि 7 नियम 11 सपहित धाय 151 CPC व केबिचर प्रा.पत्र पर बहस का निवेदन किया। बहस उच्चपद सुनी गई। प्रार्थी केबिचर द्वारा केबिचर अन्तर्गत धाय 148 A पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया गया। निधि पृथक से लिखवाया गया, जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 10 व 17 की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत हुए, जिन्हे शामिल मिसल किया गया। प्रा.पत्र 0.7 R.11 व धाय 151 CPC पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते औरि दिनांके 20.05.2025 को पेश है।

उप उच्च न्यायाधीश
पीपल (लॉक)

20/05/25 पत्रावली पेश हुई। उच्चपद अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते औरि दिनांके 27.05.25 को पेश है।

27/05/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपरिमत/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/अनुपस्थित होने के कारण पत्रावली का आवांशिका अनुसार दिनांक 28.05.25 को पेश है।

Ran

दिनांक 28.05.25 को पेश है।
उच्च न्यायाधीश
पीपल (लॉक)

FORM NO. III'

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..... मुकाम.....
 कुलदीप को. बनाम उम्मेद सिंह को.
 म मुकद्दमा..... नं. 39 सन 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28 ⁰⁵ / ₂₅	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेय हुई। उमप्रपक्ष अधिवक्ता उप.। पत्रावली का अंगमोकन किया गया व उमप्रपक्ष की बहस पर मनन किया गया। परन्तु प्रा.पत्र 0.7 R.11 सपबिन दाय 151 CPC स्वीकार किया जाकर बाद बादीगण खारिज किया गया। निष्पत्ति पृष्ठक से लिखवाया गया, जो शामिल मिसल है। पत्रावली निहित शुभकर होकर दफ्तर रखित है। एवं नियमानुसार नम्बर से कम है।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>